(घ) स्व–अधिगम सामग्री का निर्माण जो दूर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो

(ड) एक निर्धारित प्रारूप में अध्ययन केंद्रों से इस आशय का आश्वासन की अध्ययन केंद्र बी.एड प्रतिमानों का कठोरता से पालन करेगा

(च) स्टाफ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ, जैसे विज्ञाप्ति, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र।

**परिशिष्ट–11**

**कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) डिप्लोमा कार्यक्रम के मानक और मानदंड**

**1. प्रस्तावना**

कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा एक व्यावसायिक सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा viii तक दृश्य कलाएँ पढ़ाने के लिए अध्यापक तैयार करना है।दृश्य कला कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्षों की होगी। लेकिन, विद्यार्थियों को कार्यक्रम की अपेक्षाओं को प्रवेश की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों तक की अविध में पूरा करने की अनुमति होगी।

**2.2 कार्य दिवस एवं अवधि**

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवस होंगे, जिनमें से कम से कम 16 सप्ताह प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल प्रशिक्षुता (इन्टर्नशिप)के लिए होंगे।

(ख) संस्था सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी–अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) यह जरूरी होगा कि विद्यार्थी–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रम कार्यों और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए 80 प्रतिशत और स्कूल प्रशिक्षुता के लिए 90 प्रतिशत हो।

**3. भर्ती, पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया और फीस**

**3.1 भर्ती**

प्रत्येक वर्ष पचास विद्यार्थियों (पेंटिंग/ड्राइंग, आदि) का एक बुनियादी यूनिट होगा, जिसमें पच्चीस–पच्चीस विद्यार्थियों के दो सेक्शन होंगे।

**3.2 पात्रता**

जिन अभ्यर्थियों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय(यों) के रूप में दृश्य कलाओं (पेंटिंग/ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन/हेरिटेज क्राफ्ट्स/एप्लाइड कलाएं/मूर्तिकला, आदि) के साथ कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है, वे दाखिले के लिए पात्र हैं।

आरक्षित वर्गोंके संबंध में सीटों का आरक्षण और अर्हकारी अंकों में ढील संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाएगी।

**3.3 दाखिले की प्रक्रिया**

दाखिले अर्हकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा योग्यता के आधार अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार चयन या किए जाएंगे।

**3.4 फीस**

संस्था समय–समय पर यथासंशोधित एन.सी.टी.ई (गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्था द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस तथा अन्य फीसों के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार संबद्धक निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथाविहित फीस ही ली जाएगी और विद्यार्थियों से कोई दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगी।

**4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन**

**4.1 पाठ्यचर्या**

दो वर्षीय पाठ्यचर्या के निम्नलिखित संघटक हैं:

क. सिद्धांत

ख. प्रयोगात्मक कार्य

ग. स्कूल प्रशिक्षुता (इन्टर्नशिप)

घ. कार्यशालाएं, दौरे, परियोजनाएं, प्रदर्श और प्रदर्शन

**क) सिद्धांत**

**(क) मूल पाठ्यक्रम**

सिद्धांत के मामले में, कुछ पाठ्यक्रम कला शिक्षा के सभी कार्यक्रमों (दृश्य और अभिनय कलाएं) के लिए सामान्य होंगे।

(i) बाल अध्ययनों में बाल और किशोर विकास के सिद्धांतों का गहन अध्ययन; समाजीकरण का संदर्भ और प्रक्रिया; सामाजिक और भावनात्मक विकास; आत्मन् और पहचान; संज्ञान और अधिगम भाषा उपार्जन और संप्रेषण;बाल्यकाल का निर्माण और बच्चों को पालने की पद्धतियाँ; विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाना, सीखने की प्रक्रियाएं, जिनमें कलाएं और उनसे संबंधित क्रियाकलाप/अनुभव शामिल होंगे; शारीरिक स्वास्थ्य और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का अध्ययन शामिल होगा।

(ii) समकालीन अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों को कला के विभिन्न रूपों की संकल्पनाओं और पद्धतियों से और विशेष रूप से समाज में कला की भूमिका से और समकालीन भारतीय समाज के बहुलतावादी स्वरूप से सुपरिचित कराया जाएगा इसमें निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं: संस्कृति की संकल्पनाएं और देश में उसकी विविधता; संवैधानिक मूल्य और संस्कृति तथा सामाजिक स्तरीकरण समकालीन भारतीय कला के सरोकार और कलात्मक प्रवृत्तियां; बहुलतावादी संस्कृति;सामाजिक न्याय लिंग, गरीबी और विविधता; व्यक्ति की पहचान और उसका अहम और कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से उसकी खोज; समाज में उनकी स्थिति की जांच करना, आदि।

(iii) शैक्षिक अध्ययनशिक्षा के आधारभूत उद्देश्यों और मूल्यों संबंधी दार्शनिक प्रश्नों, शिक्षा और समाज के बीच संबंध, भारत में स्कूल शिक्षा की स्थिति, उसकी समस्याओं और सरोकारों का गहन अध्ययन, स्कूल संस्कृति औरएक अधिगम संस्था, के रूप में विद्यालय से परियुक्ति अध्यापक को तैयार करने के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक संघटकों का एकीकरण होगा।

(iv) भाषा में प्रवीणता और संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित है भाषा को विभिन्न संदर्भों में, बोलियों में, स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त कर सकने का प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करना तथा भाषा और इसका सांस्कृतिक रूपों संबंध संबंधी बोध हो, जिसका बल (फोक्स) बदलते हुए संदर्भों में श्रवण, बोलना, पठन बोध तथा लेखन पर हो। कला भी भाषा का एक रूप है अथवा यह कहें कि भाषा एक कला–रूप है भाषा में प्रवीणता विभिन्न कला रूपों में प्राण डालती है और एक निर्णायक भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के बीच के अभिसरण के महत्व को समझना सीखना चाहिए।

(v) कलाओं की कदर करनाःयद्यपि दृश्य और अभिनय कलाओं के विषयों के अपने अपने सिद्धांत और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जो उनके पाठ्यक्रमों में सन्निहित है, परंतु यह घटक प्रत्येक में अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को भारतीय कला रूपों की उनके मूल से आज तक की विभिन्न परंपराओं और आयामों से परिचित कराएगा।

विद्यार्थी–अध्यापकों के लिए कला की विभिन्न परम्पराओं कीकदर करना केवल तभी संभव हो सकता है, जब वे पुस्तकों, मूलपाठों, लेखों आदि के अध्ययन द्वारा और अभिनय या प्रदर्शनियो को संग्रहालयों, स्मारकों कलाकारों और शिल्पकारों को देखकर और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन उपलब्ध संसाधनों का प्रेक्षण कलाओं से पर्याप्त रूप से सुपरिचित हो सकते हैं।

**(क) दृश्य कलाएं (चित्रकारी/मूर्तिकला/एप्लाइड कलाएं/पारंपरिक शिल्प/डिजाइन)**

सिद्धांत में दृश्य कलाओं के आधारिक तत्व और सिद्धांत शामिल हैं और यह भी शामिल है कि किशोर अपनी कलात्मक क्षमता का विकास करना कैसे सीखते हैं। विभिन्न दृश्य कलाओं में भिन्न–भिन्न तकनीकें और सामग्रियां होती हैं। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी–अध्यापकों को दृश्य कलाओं और उनके सह–क्षेत्रों के बुनियादी विषयों के स्वरूप को समझने में सहायता देता है। लेकिन, दृश्य कलाओं के बारे में लिखे हुए विभिन्न प्राचीन ग्रन्थ हैं, जो सिद्धांत पाठ्यक्रम का एक भाग हैं। विद्यार्थी–अध्यापक कला के सैद्धांतिक में और कला समीक्षा के पाठ्यक्रम दोनो में कला के इतिहास का अध्ययन करेंगे।

प्रश्न पूछने से, परियोजनाओं से और सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के तुलनात्मक अध्ययन से छात्र–अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि होगी।

(ख) प्रायोगिक कार्यमाध्यमों और तकनीकों के साथ खोज करते करते विद्यार्थी अभिव्यक्ति के अपने तरीके को ढूंढ सकते हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में विविध अत्यंताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दृश्य कलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास करना शामिल होगा। विद्यार्थी–अध्यापक विभिन्न माध्यमों और सामग्रियों में विभिन्न शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रियाओं की खोज करेंगे, जो माध्यमिक स्कूल तक के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। इन सब की विषय वस्तु बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित विषय सामग्री के सृजन से ले कर उनके सांस्कृतिक और वातावरणिक सरोकारो और संदर्भों तथा एक सौंदर्भपरक विद्यालयी अनुभव तक बदल जाएगी। यह बदलाव उसकी अभिकल्पना, निदर्श की दृष्टि से तथा स्व–विकास के लिए आएगा।

**4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन**

(क) कला शिक्षा के सभी रूपों के "शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों" में एक समाकलनात्मक पहलू होगा, जिसमें मूल्यांकन के टिकाऊ मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें सी सी ई, कक्षा प्रबंधन, और आईसीटी की भूमिका शामिल हैं। क्षेत्रों के पास के पाठ्यचर्या के पहलुओं को एकीकृत करने वाला एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा, जिसमें पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, पाठ्यचर्या के पास के शिक्षाशास्त्रीय सिद्धांत, कक्षा के कमरे की प्रक्रियाएं, विशेष रूप

से आरटीई, 2009 के अनुबंधों के संदर्भ में, शामिल होंगी। पाठ्यक्रमों का निर्माण विद्यार्थी–अध्यापकों को बुनियादी विषयों के स्वरूप, मुख्य संकल्पनाओं को समझने में सहायता देने के लिए, स्कूल पाठ्यचर्या के विवेचित बोध के लिए प्रारंभिक स्कूल–विषयों की विषय–वस्तु को समझने, और यह समझने के लिए किया जाएगा कि बच्चे समान्य रूप से कैसे सीखते हैं और विशेष रूप से कला शिक्षा के क्षेत्रों को कैसे सीखते हैं। चूंकि कला शिक्षा के विषय अधिक प्रयोग–आधारित होते हैं, इसलिए सिद्धांत और प्रयोग के लिए भारिताक्रमश 40:60 होना चाहिए।

(ख) दोनों वर्षों के दौरान विद्यार्थी–अध्यापकों को स्कूलों में कक्षाओं का प्रेक्षण करने और कक्षाओं को तथा कक्षा के बाहर के क्रियाकलाप को आयोजित करने के लिए भेजा जाएगा। स्कूल प्रशिक्षुता की अवधि कम से कम 16 सप्ताहों की होगी।

**(ग) कार्यशालाएं, दौरे, परियोजनाएं, प्रदर्श और निदर्शन**

प्रतिष्ठित कलाकार अथवा शिल्पियों के साथ कार्यशालाएं, स्थानीय स्मारक, संग्रहालय, कला दीर्घा, स्थानीय मेले और त्योहारों आदि को जाकर देखना और चर्चाओं का संचालन करना, रिपोर्ट लिखना, अथवा इन अनुभवों के बाद गोष्ठियां आयोजित करना भी उनके कला अनुभवों का भाग है। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणिक विषयों पर आधारित प्रक्रिया–उन्मुख परियोजनाएं होनी चाहिए, जो वैयक्तिक रूप से अथवा समूहों को दी जा सकती है। विद्यार्थियों को जनजातीय कला क्षेत्र का सौंदर्य बोध कराने के लिए और उसके महत्व को पहचानने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम दस दिनों के लिए जनजातीय कला के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित कलाकार अथवा समूह के साथ एक कार्यशाला तो अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। स्थानीय ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, कलादीर्घाओं, अभिनयों, स्थानीय मेलों, त्योहारों, आदि को देखने जाना और समूहों में रिपोर्ट लिखना अथवा गोष्ठियों के माध्यम से चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### 4.3 मूल्यांकन

जैसे ऊपर बताया गया है चूंकि कला शिक्षा के विषय अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग–आधारित हैं, इसलिए सिद्धांत और प्रायोगिक कार्य के लिए भारिता का अनुपात समूचे कार्यक्रम के कुल अंकों में से क्रमशः 40:60 होना चाहिए। समस्त कार्यक्रम के कुल अंकों में से 25% अंक स्कूल प्रशिक्षुता क्रियाकलापों के लिए अलग निर्धारित किए जा सकते हैं। एक ऐसी मूल्यांकन योजना तैयार की जाएगी, जो वैध और विश्वसनीय हो और जिसमें समय–दक्षता हो और जो संचालनीय हो। विद्यार्थियों को अध्यापकों से और अपने समकक्षों से निरंतर फीडबैक मिलना चाहिए और उन्हें चर्चा, आत्म–चिन्तन और समकक्षों के मूल्यांकन के जरिए अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक इस कार्यनीति के भाग के रूप में विद्यार्थियों की उपलब्धियों को अभिलेखबद्ध कर सकते हैं, किंतु विद्यार्थियों को यह मालूम होना चाहिए कि क्या इन परिणामों का इस्तेमाल औपचारिक मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पद्धति के भाग के रूप में किया जाएगा अथवा नहीं। प्रत्येक परिणाम का अलग–अलग रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण है कि अध्यापन कार्यक्रम विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या के सभी निष्पत्तियों की ओर ध्यान देने की छूट दें और उसके लिए प्रोत्साहित करें तथा मूल्यांकन की कार्यनीति प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करने की अनुमति दे।

## 5. स्टाफ

### 5.1 शैक्षिक संकाय

पचास अथवा उससे कम विद्यार्थियों के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए एक सौ अथवा उससे कम विद्यार्थियों की संयुक्त संख्या के लिए।

| | |
|---|---|
| प्रिंसीपल | एक |
| लेक्चरर | चार |
| शिक्षा में लेक्चरर | एक |
| स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा में लेक्चरर | एक |
| भाषा में लेक्चरर | एक |

### 5.2 योग्यताएं/अर्हताएं

**(क) प्रिंसीपल/विभागाध्यक्ष**

–शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता वही होगी, जोकि लेक्चरर के पद के निर्धारित हो गई है, और

–कला अध्यापक शिक्षा संस्था अथवा प्रारंभिक/माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्था, अथवा दृश्य कलाओं की संस्थाओं में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव।

**लेक्चरर** **–सात**

**(ख) शिक्षा में लेक्चरर** **–एक**

पचपन प्रतिशत अंकों के साथ एम एड/एम एड (प्रारंभिक)

अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii) कला शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा/डिग्री

**(ग) कला विषय – चार**

(क) चित्रकारी एक

(ख) मूर्तिकला एक

(ग) ग्राफिक्स एक

(घ) कलाओं का इतिहास एक

**अनिवार्य योग्यताएं**

ललित कलाओं (दृश्य कलाओं) में पचास प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री तथा उपर्युक्त विषयों में से संबंधित विषय में विशेषज्ञता।

**वांछनीय**

शिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री/डिप्लोमा और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग में दक्षता।

**(घ) स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा**

लेक्चरर – एक

व्यायाम शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम पी एड)

(ङ) साहित्य में लेक्चरर – एक

(i) अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री/डिप्लोमा।

**(च) कला और शिल्प शिक्षक – एक**

**अनिवार्य** : एक पारम्परिक शिल्पी–कुम्हारी/बुनाई/धातु–शिल्त/बांस–शिल्प/पारम्परिक चित्रकारी, आदि–जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट शिल्पकार हो।

**(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष – एक**

पचास प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री

**5.3 प्रशासनिक स्टाफ**

**(क) संख्या**

(i) यू.डी.सी./कार्यलय अधीक्षक एक

(ii) कम्प्यूटर प्रचालक एक

**(ख) योग्यताएं**

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

**टिप्पणी** : पचास विद्यार्थियों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक और एक कार्यालय सहायक शामिल होगा।

किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल और शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का मिल–बांटकर उपयोग किया जा सकता है।

**5.4 सेवा के निबंधन और शर्तें**

अध्यापक और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा की निबंधन और शर्तें, जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, उचिवार्षिकी की आयु और अन्य लाभ शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्धक निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

**6 सुविधाएं**

**6.1 आधारिक**

(क) विद्यार्थियों के एक यूनिट के प्रारम्भिक दाखिले के लिए संस्था के पास 2500 वर्ग मीटर (दो हजार पांज सौ वर्ग मीटर) भूमि होगी, जिसमें से 1500 वर्ग मीटर स्थान निर्मित क्षेत्र होगा और शेष स्थान उद्यान, खेल के मैदानों, आदि के लिए होगा। विद्यार्थियों के एक अन्य यूनिट अथवा उसके कुछ भाग के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्था के पास 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर ) अतिरिक्त भूमि होगी, जिसमें से 300 वर्ग मीटर (तीन सौ वर्ग मीटर) स्थान निर्मित क्षेत्र होगा।

(ख) संस्था के पास निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं (बुनियादी ढ़ाचा) अवश्य होनी चाहिए :

(i) प्रत्येक 25 विद्यार्थियों के लिए एक कक्षा कक्ष

(ii) एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता और एक मंच हों।

(iii) पुस्तकालय–एवं–संसाधन केन्द।

(iv) कला शिक्षा के लिए ईटी और आई सीटी सुविधाओं सहित संसाधन केन्द्र।

(v) पचास विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के साथ चित्रकारी के लिए कला स्टुडियो।

(vi) पचास विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के साथ एल्पाइड कला स्टूडियो।

(vii) पचास विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के साथ मूर्तिकला स्टुडियो।

(viii) स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा संसाधन केन्द्र।

(ix) प्रिंसिपल का कार्यालय।

(x) स्टाफ रूम।

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

(xii) कला समाग्रियों के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)

(xiii) लड़कियों का कॉमन रूम

(xiv) कैंटीन

(xv) आगन्तुक कक्ष

(xvi) पुरूष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग–अलग शौचालय सुविधा

(xvii) वाहन खड़ा करने का स्थान

(xviii)उद्यानों, बागबानी क्रियाकलापों के लिए खुला स्थान

(xix) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्टोर रूप

(xx) बजुप्रयोजनी खेल का मैदान

(ग) संस्था का परिसर, भवन, फर्नीचर, आदि विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल होने चाहिए।यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता हो, तो खेल के मैदान, बहुप्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और संसाधन केन्द्र (पुस्तकों और उपस्करों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) और शैक्षणिक स्थान की सुविधाओं का उपयोग सांझे रूप से किया जा सकता है। संस्था में समूची संस्था के लिए एक प्रिंसिपल होगा और संस्था में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के अलग–अलग अध्यक्ष होंगे।

**6.2 स्कूल प्रशिक्षुता सुविधाएं**

विद्यार्थी–अध्यापकों के फील्ड कार्य और अभ्यास–शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के लिए संस्था की पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूलों तक सहज–सरल पहुंच होगी। यह वांछनीय है कि संस्था का स्वयं अपना एक संलग्न प्रारम्भिक स्कूल हो। संस्था उन स्कूलों की जो अभ्यास–अध्यापन के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए रजामन्द हों, इस बारे में वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक स्कूल के साथ दस से अधिक विद्यार्थी–अध्यापकों को संलग्न नहीं किया जाएगा

**6.3 उपस्कर और सामग्रीयां**

(i) संस्था 6(1) में उल्लिखित स्टुडियो और संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा, जिनमें अध्यापकों और विद्यार्थियों को अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति के समर्थन और संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होनी चाहिए :

कलाओं और शिल्पों पर पुस्तके, जर्नल और पत्रिकाएं बच्चों की पुस्तके

श्रव्य–दृश्य अपकरण, बीडियो–आडियो डेप, स्लाइडें, फिल्में अध्यापन उपकरण–चार्ट, चित्र

प्रेरणात्मक सामग्री, जैसे बच्चों की कला कृतियां

सुविख्यात कलाकारों और उत्कृष्ट शिल्पियों की कृतियां

विकासात्मक मूल्यांकन जाँच सूचियां और मापन औजार फोटो कापी मशीन

**(ii) विभिन्न कला क्रियाकलापों के लिए सामग्रियां**

पचास विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चित्र फलक, ड्राइंग बोर्ड, केनवस, कागज, रंग, ब्रश, मूर्तिकला के लिए विशिष्ट टूलकिट, शिल्पों के लिए विशिष्ट टूलकिट, एप्लाइड कला किट और सामग्री।

**अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति सामग्री/साधन**

इस कार्यक्रम में नियोजित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री गुणवक्ता और मात्रा दोनो दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल है :

विभिन्न कलाओं संबंधी स्लाइडों का संग्रह, कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में तरीको और प्रक्रियों के बारे में वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तके, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लो–अप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पुस्तिकाएं, चित्र, बच्चों का चित्रीय प्रस्तुतीकरण।

**(iii) श्रव्य दृश्य उपकरण**

प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं, जिनमें टीवी, डीवीडी प्रेशर, स्लाइड प्रोजक्टर, खाली श्रव्य दृश्य श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, चित्र शामिल हैं। आर ओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेंटलाइट इंटर लिंकिंग टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

**(iv) संगीत वाद्ययंत्र**

साधारण संगीत वाद्ययंत्र, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, मंजीरा ओर अन्य क्षेत्रीय देशी संगीत वाद्य।

**(v) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं**

संस्था के सथपित होने के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोश, शब्द–कोश, और संदर्भ पुस्तके व्यावसायिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें, अध्यापकों की पुस्तिकाएं (हैंडबुक्स) और बच्चों के बारे में और उनके लिए पुस्तकें (जिनमें कामिक्स अर्थात हास्य पुस्तकें, कहानियां, सचित्र पुस्तकें/एल्बम और कविताए) शामिल होनी चाहिए। संस्था को कम से कम तीन पत्रिकाएं (जर्नल) मंगाने चाहिएं, जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा के बारे में होनी चाहिए।

**(vi) खेलें और खेलकूद**

अन्दर खेली जाने वाली (इनडोर) और बाहर खेली जाने वाली (आउटडोर) सामान्य खेलों के पर्याप्त खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

**7. प्रबन्धन समिति**

संस्था संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई होने, एक प्रबंधन समिति गठित करेगी। ऐसे कोई नियम न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयं अपने आप एक प्रबन्धन समिति गठित करेगी। इस समिति में प्रबन्धन सोसाइटी/न्यास के प्रतिनिधि, कला शिक्षाविद, प्राथमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विशेषज्ञ और स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

**परिशिष्ट–12**

## कला शिक्षा में डिप्लोमा (अभिनय कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (अभिनय कलाएं) के लिए मानदण्ड और मानक

**1. प्रस्तावना**

कला शिक्षा (अभिनय कलाएं) में डिप्लोमा एक संवृत्तिक सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा VIII तक अभिनय कलाओं के लिए अध्यापक तैयार करना है ।

**2. अवधि और कार्यदिवस**

**2.1 अवधि**

अभिनय कलाकार्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्ष की होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर कार्यक्रम की अपेक्षाएं पूरी करने की अनुमति होगी ।

**2.2 कार्यकारी दिवस**

(क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोडकर प्रतिवर्ष कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 16 सप्ताह प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए होंगे ।

(ख) संस्थान एक सप्ताह (पांच या छ दिन) में कम से कम 36 घण्टे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में सभी अध्यापकों और छात्र अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है जिससे कि जब कभी जरूरत हो सलाह, मार्गदर्शन, वार्ता तथा परामर्श के लिए उनकी सुलभता सुनिश्चित हो सके।

(ग) छात्र–अध्यापकों की सभी प्रायोगिक एवं पाठ्यक्रम कार्यों के लिए 80% और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% की न्यूनतम उपस्थिति होगी ।

**3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश क्रियाविधि, विधि और फीस**

**3.1 दाखिला क्षमता**

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी युनिट होगा जिसमें 25–25 छात्रों के दो इकाइयाँ होंगे। शुरू में दो बुनियादी इकाइयों की अनुमति है। तथापि सरकारी संस्थान अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन अधिक से अधिक 4 इकाइयों का दाखिला कर सकते हैं।